मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :-183/2024

1. कृष्णलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कुलचन्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. तुलछादेवी उर्फ माया पुत्री लिछमणराम पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. चिड़ियादेवी पुत्री लिछमणराम पत्नी अमीचन्द जाति जाट निवासी कुलचन्द हाल 35 ए नित्यानगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।

-- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :- 13.08.2024

डिक्री

वादी की ओर से श्री रूपराम कासनियां अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री रामस्वरूप भादू अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 7 सी.डी.आर. के खाता संख्या 29/141 में कुल 7.185 हैक्टर नहरी मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछादेवी का 717/4790 हिस्सा में से 0.727 हैक्टर एवं प्रतिवादीया संख्या 2 चिड़िया देवी का 717/4790 हिस्सा में से 0.727 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 7 सी.डी.आर. के [illegible] 29/141 में प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछादेवी एवं प्रतिवादीया संख्या 2 [illegible] हिस्सा कम किया जाकर शेष जमाबन्दी यथावत रखे जाने के आदेश [illegible] इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर इन्द्राज कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
अर्जी के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
सनद पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग			

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner